

# चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2020-21



**बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**  
**इॉसी**

(कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के प्रावधानों के अतर्गत निगमित)



### नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की चौथी वार्षिक आम सभा का आयोजन दिनांक 25 सितंबर 2021 को होटल नटराज सरोवर पोर्टिको, स्टेशन रोड, सिविल लाइंस, झांसी-284001 में सुबह 11 बजे निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है

1. 31 मार्च, 2021 को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना।

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2021 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किए जाते हैं।”

2. कंपनी की अंश पूंजी पर सीमित आय (लाभांश) पर विचार कर घोषित करने और इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना -

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अंश पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वर्तमान लाभ में से प्रति समता अंश ₹ 7/- की दर से प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 100 रुपये के 146967 समता अंशों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जाता है, जिनके नाम 31 मार्च, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।”

3. श्रीमती सरिता देवी जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने के लिए।

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती सरिता देवी, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त रही हैं और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणाम स्वरूप रिक्ति को नहीं भरा जाएगा।”

4. श्रीमती अंजनी जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने के लिए।

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती अंजनी जो रोटेशन से सेवानिवृत्त रही हैं और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणाम स्वरूप रिक्ति को नहीं भरा जाएगा।”

5. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के अंतरिम बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

6. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक तय करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, मैसर्स एस एन धवन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045) इस चौथी वार्षिक आम सभा के समापन से आठवीं वार्षिक आम सभा के समापन तक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में ऐसे पारिश्रमिक पर जैसा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, पुनर्नियुक्त किए जाते हैं।”

7. श्रीमती राधा को कंपनी की निदेशक नियुक्त करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर और यदि उचित समझा जाए, संशोधनों कर या बिना संशोधन किए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती राधा (फोलियो संख्या 0000586) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

8. श्रीमती लक्ष्मी देवी को कंपनी की निदेशक नियुक्त करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर और यदि उचित समझा जाए, संशोधनों कर या बिना संशोधन किए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती लक्ष्मी देवी (फोलियो संख्या 0013020) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

9. श्रीमती राम देवी को कंपनी की निदेशक नियुक्त करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर और यदि उचित समझा जाए, संशोधनों कर या बिना संशोधन किए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती राम देवी (फोलियो संख्या 0004355) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

10. श्रीमती राजकुमारी लोधी को कंपनी की निदेशक नियुक्त करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर और यदि उचित समझा जाए, संशोधनों कर या बिना संशोधन किए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती राजकुमारी लोधी (फोलियो संख्या 0001914) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”



11. कंपनी के अंतर्नियम में परिवर्तन पर विचार करना और अनुमोदन करना और विशेष प्रस्ताव के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 सहित (कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों सहित, यदि और हद तक लागू परिवर्तनों सहित या अन्यथा, किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनरधिनियमन के साथ) और कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के मौजूदा अंतर्नियम को निम्नलिखित तरीके से और सीमा तक प्रतिस्थापित जाता हैरू –

अनुच्छेद 1.1 जहां कहीं भी कंपनी अधिनियम, 2013 में, यह प्रदान किया गया है कि कंपनी के पास कोई अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार होगा यदि उसके लेखों द्वारा ऐसा अधिकृत किया गया है, तो इस अनुच्छेद के आधार पर, कंपनी इसके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत है इस तरह के विशेषाधिकार या अधिकार, जैसा कि अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई है, बिना किसी विशिष्ट प्रावधान के और या उस संबंध में अलग लेख यहां प्रदान किया गया है

अनुच्छेद 1.2- तालिका एफ में निहित विनियम, अधिनियम की अनुसूची I में विनियम 45 से 47 को छोड़कर, कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 1.3 (i):- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378(L) के तहत कंपनी एक प्रोड्यूसर कंपनी है।

अनुच्छेद 1-3(ii):- एक निजी कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA में निर्दिष्ट के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान कंपनी पर लागू होंगे, और जैसे कि यह एक निजी सीमित कंपनी है, जहां तक वे अधिनियम के भाग XXIA के प्रावधानों के टकराव में नहीं हैं।

अनुच्छेद 1.3(iii) – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378C(5) के तहत कंपनी को एक निजी कंपनी माना जाता है और तदनुसार

- a. अपने अंशों को इस तरह से और इसके बाद प्रदान की गई सीमा तक स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है तथा
- b. कंपनी में किसी अंश या डिबेंचर की सदस्यता के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है

अनुच्छेद 2.1.i – ‘अधिनियम’ का अर्थ है कंपनी अधिनियम 2013 या उसका कोई भी लागू वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन ।

अनुच्छेद 2.1.vii – ‘कंपनी’ का अर्थ है बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड।

अनुच्छेद 2.1.viii – ‘विशेषज्ञ निदेशक’ का अर्थ अधिनियम की धारा 378च में निर्दिष्ट निदेशक से हैय

अनुच्छेद 2.1.ix – "वित्तीय वर्ष" का अर्थ प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है जिसके संबंध में कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।

अनुच्छेद 2.1.xiii- 'पारस्परिक सहायता सिद्धांत' का अर्थ है अधिनियम के अध्याय XXIA में निर्धारित सिद्धांत, और जैसा कि अनुच्छेद 3 में प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 6.8- कंपनी अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार अपने स्वयं के समता अंश खरीद सकती है।

अनुच्छेद 7- समता शेयरों का हस्तांतरण कोई सदस्य बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद अपने अपने शेयरों का पूरा या कुछ हिस्सा किसी सदस्य को हस्तांतरित कर सकता है घ

अनुच्छेद 9.17- निदेशक बोर्ड और बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियों की बैठकों में, यदि कोई हो, उपस्थिति के लिए ऐसे शुल्क और भत्ते के हकदार हो सकते हैं, जिसमें यात्रा और होटल खर्च शामिल हैं, जो अधिनियम की धारा 378 यू के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

अनुच्छेद 9.18 (ii) k - अधिनियम की धारा 378यू के प्रावधानों के संदर्भ में एक नामांकन समिति का गठन करने के लिए, बोर्ड में पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए, आम सभा में अनुमोदित और इन अनुच्छेदों में प्रदान किए गए परिभाषित मानदंडों के आधार पर, और तदनुसार बोर्ड के विचारार्थ पात्र सदस्यों की अनुशांसा करते हैं। बदले में, बोर्ड, बोर्ड की बैठक में उचित विचार के बाद, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड के पद के लिए सदस्यों की सिफारिश करेगा।

अनुच्छेद 11.6 (i)(c):- किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जायेगा जो कम्पनी का सदस्य नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है जिसकी अथवा जिनकी सदस्यसदस्यों की ओर से उसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और यह संख्या 300 से अधिक नहीं हो सकती है एवं उनके पास कुल मिलाकर कम्पनी की 10 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी नहीं हानी चाहिये।

अनुच्छेद 11.13- आम सभा में किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मर्दों को सामान्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 102(1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 19.1- बोर्ड सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सेफ कस्टडी प्रदान करेगा और कंपनी (अंश पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 में निहित प्रावधानों के अधीन, सील को किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि इसके लिए पहले दिए गए प्राधिकरण द्वारा उस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत या बोर्ड की एक समिति द्वारा अधिकृत न हो तथा बोर्ड ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित कर सकता है जो कानून के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से हस्ताक्षर करेंगे तथा प्रत्येक दस्तावेज जिस पर उसकी उपस्थिति में मुहर लगाई जाएगी।

अनुच्छेद 19.2- इस खंड को लोपित किया जाएगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को आवश्यक फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिये जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान झाँसी  
दिनांक 31.08.2021

ओम प्रकाश सिंह  
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

#### टिप्पणियाँ

1. कंपनी को अधिकारियों द्वारा जारी सभी COVID –19 संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसलिए, कंपनी के सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें एजीएम की निर्धारित तिथि से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को सूचित करना आवश्यक है ताकि सख्ती से करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की जा सके। सामाजिक दूरी के मानदंडों और अन्य सभी COVID –19 संबंधित प्रोटोकॉल आवश्यकताओं का पालन करें
2. वार्षिक आम सभा में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्य के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
3. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
4. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10:00 बजे से 16:00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
6. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्य से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्य कोड का उल्लेख करें।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
9. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378(4) (c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या 7,8,9,10

नाम	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता
राधा	पशुपालन	12
राजकुमारी लोधी	पशुपालन	स्नातक
लक्ष्मी देवी	पशुपालन	10
राम देवी	पशुपालन	12

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान झाँसी  
दिनांक 31.08.2021

ओम प्रकाश सिंह  
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

Balinee Milk Producer Company Limited						
Revenue Budget						
S.No.	Particulars	UoM	Budget FY 20-21	Actual FY 20-21	Board Approved Budget FY 21-22	Proposed Budget FY 21-22
(I)	Milk Procurement Qty	(KGPD)	55,149	37,410	105,188	106,829
(II)	Revenue from Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	9,664.65	5,912.76	18,697.87	17,801.72
(III)	Producer Price	(Rs. in Lakhs)	8,639.11	5,153.38	16,577.80	15,667.48
(IV)	Sahayak Margin	(Rs. in Lakhs)	215.51	122.58	415.84	414.26
(V)	Logistic Cost	(Rs. in Lakhs)	637.66	347.56	957.47	894.21
(VI)	Other Milk Procurement Cost	(Rs. in Lakhs)	670.39	319.84	670.84	695.38
(VII)	Fixed Cost	(Rs. in Lakhs)	433.96	190.20	370.07	339.98
(VIII)	<b>Profit/(Loss) from Milk Operation befor Grant Support</b>	<b>(Rs. in Lakhs)</b>	<b>(931.98)</b>	<b>(220.80)</b>	<b>(294.15)</b>	<b>(209.58)</b>
(IX)	Grant Support -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	956.11	557.14	236.99	481.93
(X)	<b>Profit/(Loss) from Milk Operation after Grant Support</b>	<b>(Rs. in Lakhs)</b>	<b>24.12</b>	<b>336.34</b>	<b>(57.16)</b>	<b>272.35</b>
(XI)	Revenue Expenses for PES Activities	(Rs. in Lakhs)	88.78	36.78	100.12	70.08
(XII)	(Deficit) -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	(88.78)	(36.78)	(100.12)	(70.08)
(XIII)	Grant Support -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	88.78	36.78	100.12	70.08
(XIV)	Profit/(Loss) from PES Operations	(Rs. in Lakhs)	-	-	-	-
(XV)	Other Income	(Rs. in Lakhs)	16.38	44.66	60.52	62.90
(XVI)	<b>Profit/(Loss) Befor Tax</b>	<b>(Rs. in Lakhs)</b>	<b>40.50</b>	<b>381.00</b>	<b>3.36</b>	<b>335.25</b>

  

Capex Budget						
S.No.	Particulars	UoM	Budget FY 20-21	Actual FY 20-21	Proposed Budget FY 21-22	Proposed Budget FY 21-22
<b>A</b>	<b>Milk Operation</b>					
(I)	MPP SET UP COST	(Rs. in Lakhs)	50.29	15.81	-	15.00
(II)	CANS	(Rs. in Lakhs)	64.80	71.23	75.01	80.00
(III)	BMC	(Rs. in Lakhs)	379.00	130.47	-	78.00
(IV)	HO SET UP	(Rs. in Lakhs)	-	0.35	-	4.00
(V)	ICT	(Rs. in Lakhs)	67.99	4.77	-	10.00
(VI)	DPMCU	(Rs. in Lakhs)	305.21	357.09	-	165.00
(VII)	BMC Accessories	(Rs. in Lakhs)	-	-	-	-
(VIII)	AMCU	(Rs. in Lakhs)	10.95	16.81	-	4.00
(IX)	BMC set up cost	(Rs. in Lakhs)	40.81	32.10	-	10.00
(X)	ETP	(Rs. in Lakhs)	26.00	-	-	-
(XI)	Cluster Officer Set up	(Rs. in Lakhs)	10.60	10.60	-	6.00
	<b>Capex -Milk Operations</b>	(Rs. in Lakhs)	<b>955.64</b>	<b>639.23</b>	<b>75.01</b>	<b>372.00</b>
(XII)	Capex Grant Support -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	955.64	639.23	75.01	372.00
	<b>Capex from own Funds</b>	(Rs. in Lakhs)	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>PES Operation</b>					
(I)	Containers	(Rs. in Lakhs)	-	-	-	-
(II)	LN Silo	(Rs. in Lakhs)	25.00	25.00	-	-
(III)	Handheld Device/Tablet	(Rs. in Lakhs)	-	-	-	-
(IV)	Laptop	(Rs. in Lakhs)	-	0.60	-	-
(V)	PES Centre set up	(Rs. in Lakhs)	6.00	-	-	-
	<b>Capex -PES Operations</b>	(Rs. in Lakhs)	<b>31.00</b>	<b>25.60</b>	-	-
(VI)	Capex Grant Support -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	31.00	25.60	-	-
	<b>Capex from own Funds</b>	(Rs. in Lakhs)	-	-	-	-
I	Total Capex	(Rs. in Lakhs)	<b>986.64</b>	<b>664.83</b>	<b>75.01</b>	372.00
II	Total Capex grant	(Rs. in Lakhs)	<b>986.64</b>	<b>664.83</b>	<b>75.01</b>	372.00
III	<b>Capex from own Funds</b>	(Rs. in Lakhs)	-	-	-	-

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के तीसरी आम सभा का कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रति  
स्थान होटल द ग्रैंड तुलसी चित्रा चौराहा, बीकेडी रोड, झांसी उत्तर प्रदेश  
दिनांक और समय 25 सितंबर, 2020 को 11 बजे आयोजित।

**उपस्थित**

1. श्रीमती अंजनी	अध्यक्षा और शेयरधारक
2. श्रीमती उमा कांति पाल	निदेशक और शेयरधारक
3. श्रीमती सरिता देवी	निदेशक और शेयरधारक
4. श्रीमती रिंकी	शेयरधारक
5. श्रीमती खिलोनी देवी	शेयरधारक
6. श्रीमती अनुराधा	शेयरधारक
7. श्रीमती कविता	शेयरधारक

कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 361 इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 34 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और 34247 शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4807 शेयरधारक बैठक में व्यक्तियों के माध्यम से उपस्थित थे कुल मिलाकर 34608 शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4841 शेयरधारक उपस्थित थे। जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 581ZA (9) के प्रावधानों के अनुसार एक वैध कोरम है।

ए. श्रीमती अंजनी ने ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद संभाला और घोषणा की कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार कोरम मौजूद है। प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर और निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर एजीएम स्थल पर उपलब्ध था और निरीक्षण के लिए खुला था। इसके बाद सभा को आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ाया गया।

बी. अध्यक्ष ने कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद सभा को आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ाया गया।

सी. उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से, तीसरी वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही सभी सदस्यों को वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

संबोधन समाप्त करने के बाद अध्यक्ष महोदय ने सभा में तीसरी वार्षिक आम सभा के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के निर्देश दिये।

साधारण व्यवसाय

**1. 31 मार्च 2020 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण और उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए।**

श्रीमती खिलोनी देवी (फोलियो नंबर 1161) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया— किया

**संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM 25.09.2020/2020-21**

“संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2020 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण जो कि अनुसूचियों और नोट्स के साथ है और

कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ है को एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

श्रीमती रिकी (फोलियो नंबर 2347) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करने के लिए –**

श्रीमती विशाखा (फोलियो संख्या 2392) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

**संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM 25.09.2020/2020-21**

“संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से 7 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये वाले 2679 इक्विटी शेयरों पर सीमित रिटर्न (लाभांश) की अनुशंका की जाती है पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 18753 रुपये की राशि एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है और, इस राशि का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित है।”

श्रीमती गणेशी (फोलियो नं. 228) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना**

श्रीमती अनुराधा (फोलियो संख्या 2300) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

**संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020:3/2020-21**

“संकल्प किया कि श्रीमती उमा कांति पाल (डीआईएन 08341571), कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होती हैं, और पात्र होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश करती हैं और उन्हें फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।”

श्रीमती कविता (फोलियो नं. 3007) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना**

श्रीमती गणेशी (फोलियो संख्या 2228) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

**संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020:4/2020-21**

“संकल्प किया कि श्रीमती आराधना देवी (डीआईएन 08341567), कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होती हैं, और अपात्र होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप उक्त रिक्ति को नहीं भरा जाएगा।”

श्रीमती विशाखा (फोलियो नं.2392) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**5. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।**

श्रीमती जयंती (फोलियो संख्या 3811) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

**संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020:5/2020-21**

“संकल्प किया गया कि वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी का बजट को एतद्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया जाता है।

श्रीमती पूजा (फोलियो नं.4283) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**6. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना, पारिश्रमिक तय करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए—**

श्रीमती कांति पाल (फोलियो संख्या 4439) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

**संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020: 6/2020-21**

“संकल्प किया कि, मैसर्स एस.एन. धवन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045), इस तीसरी वार्षिक आम बैठक के समापन से कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प में 65,000 रुपये (षैंसठ हजार रुपये मात्र) प्लस लागू कर और वास्तविक जेब खर्च की प्रतिपूर्ति के पारिश्रमिक पर फिर से नियुक्त किए जाते हैं।”

श्रीमती नीरज देवी (फोलियो नंबर 1982) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**7. श्रीमती रचना की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।**

श्रीमती पद्मा (फोलियो संख्या 1019) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

**संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020 : 7/2020-21**



“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अध्याय IX A के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, श्रीमती रचना (डीआईएन 08890979) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

श्रीमती अनीता देवी (फोलियो नं. 2106) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

#### **8. श्रीमती आरती राजपूत की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।**

श्रीमती ममता (फोलियो नं.1730) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

#### **संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020:8/2020-21**

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अध्याय IX A के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, श्रीमती आरती राजपूत (डीआईएन 08913495) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

श्रीमती नीता गुर्जर (फोलियो नं. 1028) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

#### **9. श्रीमती कल्पना देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।**

श्रीमती राधा (फोलियो संख्या 586) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

#### **संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020:9/2020-21**

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अध्याय IX A के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, श्रीमती कल्पना देवी (डीआईएन 08890954) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

श्रीमती सीता देवी (फोलियो नं. 273) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

#### **10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना**

श्रीमती कमलेश देवी (फोलियो नं.157) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया—

#### **संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020:10/2020-21**

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX A के प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (किसी भी वैधानिक संशोधन के साथ या कंपनी के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के लागू प्रावधान और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के बहिर्नियमों के मौजूदा क्लॉज III A को एतद्वारा बदल दिया जाता है।

निम्नलिखित नई वस्तु को बिंदु 5 के रूप में जोड़कर और मौजूदा बिंदु 5 को नए बिंदु 6 के प में पुनः क्रमांकित करके बदल दिया गया है

“5. प्राथमिक उत्पाद और उसके व्युत्पन्नो की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय को जरी रखना, जिसमें मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के खाद्य तेल, फलों और सब्जियों तक सीमित नहीं हैं, उसी का विपणन करना और उन गतिविधियों से निपटने के लिए जो उससे संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा हैं।”

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि, मुख्य कार्यकारी को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को निपटाने के लिए अधिकृत है जो कि इस संबंध में उत्पन्न हो सकता है।”

श्रीमती मीणा (फोलियो नं. 13792) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया

#### **11. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना**

श्रीमती रनेहलता (फोलियो संख्या 126) ने एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा

#### **संकल्प संख्या 3<sup>rd</sup> AGM: 25.09.2020:11/2020-21**

“संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष प से धारा 581-I, 581ZQ, 581ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 सहित, (कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, यदि और हद तक लागू परिवर्तनों सहित या अन्यथा, सहित) और अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों सहित किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन के साथ कंपनी के, मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जहा तक संभव हो सके निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है

1. मौजूदा अनुच्छेद 9.5 i.रूपांतरित कर निम्नानुसार पढ़ा जाये

बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, जहां तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। हालांकि, यह आवश्यकता कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक के बाद लागू होगी

2. मौजूदा अनुच्छेद 9.6 ii. निम्नानुसार पढ़ने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है

वार्षिक आम बैठक में भरी जाने वाली बोर्ड की कोई भी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश पर आधारित होगी। हालांकि, यह प्रावधान कंपनी की 7वीं एजीएम के बाद प्रचलन में होगा और ऐसे समय तक कंपनी के बोर्ड की सिफारिश के आधार पर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

3. मौजूदा अनुच्छेद 9.7 को निम्नानुसार पढ़ने के लिए बदल दिया जाए

बोर्ड में रिक्त पदों को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड अतिरिक्त निदेशक या निदेशक का चयन कर सकता है, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पहचाने गए सदस्य ने सदस्यता जारी रखने के मानदंड को कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए पूरा किया हो और इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक या कम अवधि के लिए पद धारण करेंगे यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा निर्णय लेता है। तथापि, ऐसे व्यक्ति को बाद के दो वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए चुना नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से एक से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड की आवश्यकता प्रभावी होगी।

इसके अलावा, मुख्य कार्यकारी को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

श्रीमती शशि (फोलियो नंबर 531) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्षा ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया था कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

दिनांक 25 सितंबर 2020

अध्यक्षा

## निदेशकों की रिपोर्ट

### **बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए--**

निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 24 जुलाई 2019 को कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य में सदस्यों के दुग्ध का संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा इससे जुड़ी सभी प्रकार की प्रासंगिक गतिविधियों के लिए किया गया था।

### **वित्तीय परिणाम**

सारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं :-

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	(राशि रुपये में)	(राशि रुपये में)
कुल आय	67,03,95,715	24,73,38,573
सामग्री लागत सहित व्यय	63,24,09,563	22,47,23,314
लाभ/(हानि) कर पूर्व की अवधि के लिए	3,79,86,152	2,26,15,259
कराधान के लिए प्रावधान	61,85,953	38,91,016
कर पश्चात की अवधि के लिए लाभ/(हानि)	3,18,00,199	1,87,24,243
लाभांश	11,75,736	18,753
जीआर में स्थानांतरित लाभ	3,06,24,463	1,87,05,490

### **कम्पनी के परिचालन का विवरण -**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 24,73,38,573/- रुपये से बढ़कर 67,03,95,715/- रुपये हो गया, इस प्रकार इसमें 171 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय 22,47,23,314/- रुपये की तुलना में बढ़कर 63,24,09,563/- रुपये रहे हैं।

कर के बाद लाभ पिछले वर्ष में 1,87,24,243/- रुपये की तुलना में बढ़कर 3,18,00,199/-रुपये हो गया है।

### **सीमित लाभांश**

निदेशक मण्डल ने रुपये 75-( सात रुपये मात्र) प्रति समता अंश की दर से कुल रुपये 11,75,736/- ( ग्यारह लाख पचहतर हजार सात सौ छत्तीस रुपये मात्र) सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की

अनुशांसा की है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान केवल उन्हीं सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2021 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

### **सामान्य संचय में हस्तान्तरण**

कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की सपठित धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने कर पश्चात लाभों में से रुपये 3,06,24,463/—(अक्षरों तीन करोड़ छः लाख चौबीस हजार चार सौ तिरसठ रुपये मात्र) की राशि को चिट्ठे में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव दिया है।

### **परिचालन की समीक्षा**

#### **दुग्ध संकलन**

कंपनी के दूध संकलन कार्य की शुरुआत झांसी जिले के ब्लॉक बबीना, बड़ागांव, मोठ, बरमोर, चिरगांव, गुरसराय बांगरा और मौरानीपुर, सुमेरपुर, मोदाहा, कुरारा, मुस्कान गोहंड, सरिला, जिला हमीरपुर के रथ ब्लॉक, नारायणी, बबेरू, महुआ, जिला बांदा के बिसंडा, कमसिन ब्लॉक, चित्रकूट जिले के करवी ब्लॉक, जिला जालौन के रामपुरा, कुथौंड, माधोगढ़, नाडीगांव, जालौन, महेवा ब्लॉक में की गई थी। कंपनी को 29 सितंबर 2019 को चालू किया गया था। कंपनी ने 10 बीएमसीएमसीसी स्थानों के तहत 31 मार्च 2021 तक 601 एमपीपी स्थापित करके 633 गांवों को कवर किया था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रति दिन औसतन 37410 किलोग्राम के साथ 13654599 किलोग्राम कच्चे दूध की खरीद की है। वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी ने 24080 सदस्यों को नामांकित किया था। कुल नामांकित सदस्यों में से, वर्ष के दौरान 18847 सदस्यों ने दूध डाला है, इस प्रकार कंपनी के कामकाज में अपना भरोसा जताया है।

कम्पनी ने दुग्ध की नियमित आपूर्ति हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यों को 43.72 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी सदस्यों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों से दुग्ध संकलन की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक (परिवहन) नियंत्रण आदि के माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि कर उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

#### **गुणवत्ता हेतु पहल**

उपयोग किये जा रहे दुग्ध शीतलन केंद्र (एमसीसी) और थोक दुग्ध शीतलक (बीएमसी) कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता को जांचने के लिए पूर्ण रूप से आधारभूत जांच सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। एफएसएसएआई के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार एमसीसी स्तर पर मिलावट की जांच और एंटीबायोटिक जांच की नई प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कम्पनी के परिचालन में गुणवत्ता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी सभी जुड़े उन सभी पक्षकारों को साफ-सफाई पर जोर देते हुए तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जो दुग्ध की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।

#### **उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ—**

#### **कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ —**

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए उनके घर पर ही गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवायें प्रदान कर रही है, ताकि मवेशियों की प्रजाति में सुधार कर दुधारु पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर कम्पनी के परिचालन क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद मवेशियों की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर में सुरक्षित रखा जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 7,232 AI की है। (प्रथम AI फौलोअप में 51 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)

#### **राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (RBP)–**

कम्पनी के परिचालन क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादक पुरानी आहारधारा प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर आहार पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम को अपनाया है। उक्त कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्रियों का उपयोग करके संतुलित आहार दें, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशु स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन लागत में कमी आयेगी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम के तहत 5804 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

#### **पशु-आहार**

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 694 मैट्रिक टन पशु आहार का विक्रय किया।

#### **बाँझपन उपचार शिविर–**

चूंकि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने परिचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 120 बाँझपन उपचार शिविरों में 4178 मवेशियों का परीक्षण किया।

#### **कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट (CMT):–**

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण, दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुधारु पशुओं के लिए कुल 7214 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 931 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज कर ठीक किया गया।

#### **खनिज मिश्रण**

कम्पनी ने परिचालन क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम बलिनी मिन के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुधारु

पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 9.383 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया है।

#### **उत्पादक संस्था निर्माण-**

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए कारोबार को मजबूती प्रदान करता है। कम्पनी के कारोबार में सदस्यता और सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं जिससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।

पीआईबी गतिविधियाँ मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्य के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

#### **एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत -**

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों को केवल सदस्यों तक ही सीमित रखा गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय एवं प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मैचिंग शेयर कैपिटल में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कॉन्टैक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया गया जो सदस्यों और कम्पनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्यों की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म-निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यवसायिक परिचालन के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन और उच्च श्रेणी के आर्थिक स्तर को हांसिल करने के लिए कर्मचारियों को शीघ्रतापूर्वक व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

#### **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम-**

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। सदस्यों, संभावित सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित किए गए प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार थे -

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नाम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
एमपीसी के लिए सब्सक्राइबर ओरिएंटेशन वर्कशॉप	1	10
व्यापार और अभिशासन रणनीति कार्यशाला	1	17
निदेशक कौशल निर्माण कार्यक्रम	1	15
क्षेत्र जागरूकता के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम_एनजीओ	1	15
उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	280	8744
गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	280	8973
जागरूकता कार्यक्रम/संवेदीकरण कार्यक्रम पुरुष/महिला	280	9183

ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	5	100
अभिविन्यास कार्यक्रम- वीसीजी	23	460
ओ एंड एम (व्यक्ति) पर बीएमसी/एमसीसी स्टाफ का प्रशिक्षण	24	24
सहायक अभिविन्यास कार्यक्रम (व्यक्ति)	55	55
सहायकों (व्यक्ति) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	31	31
क्यूए अधिकारियों (व्यक्ति) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	8	8

#### **वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन –**

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धतायें नहीं हैं 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों। नियामक एवं न्यायालय द्वारा ऐसे कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश पारित नहीं किये गये हैं भविष्य में कम्पनी के परिचालन को प्रभावित करते हों।

#### **व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन –**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

#### **अंश पूंजी और सदस्यता–**

31 मार्च, 2021 तक, कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में 20514 सदस्यों को शामिल करते हुए प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 14696700 थी। इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या 24074 सदस्यों की है और प्रदत्त अंश पूंजी राशि रु 18681400६- है।

#### **वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति –**

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। हर उस सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

#### **निदेशक मण्डल–**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्रीमती रचना और श्रीमती कल्पना देवी को 25 सितंबर 2020 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और श्रीमती आरती राजपूत को 10 अक्टूबर 2021 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

वर्ष के दौरान श्रीमती राज कुमारी ने 28 अगस्त 2020 से निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीमती सुलेखा देवी ने 18 अगस्त 2021 से निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती सरिता देवी और श्रीमती अंजनी आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होती हैं और अयोग्य होने के कारण उन्होंने अपने आपको पुर्ननियुक्ति के लिये प्रस्तुत नहीं किया है।

#### **निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण –**

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं कि-



क. वार्षिक लेखे तैयार करते समय कम्पनी द्वारा लागू होने वाले लेखा-मानकों का उचित अनुपालन किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरन्तर लागू रखा है तथा ऐसे निर्णय और अनुमानों का प्रयोग किया है जो तर्कसंगत और उपयुक्त हैं एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के कारोबार की उचित एवं सही स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सके।

ग. कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपटधोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

ङ. सभी लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उपयुक्त पद्धति विकसित की है और ये पद्धतियाँ उपयुक्त एवं प्रभावी रूप से कार्यशील हैं।

#### **अंकेक्षक-**

मैसर्स एस एन धवन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल चौथी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा अपनी योग्यता की पुष्टि होने अगर पुनर्नियुक्ति किया जाता है तो इसकी स्वीकृति प्रदान की है।

निदेशक मण्डल एस एन धवन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

#### **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा अंकेक्षण-**

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी के आंतरिक अंकेक्षण नियमित तौर पर एक बाह्य कम्पनी मैसर्स रे एण्ड रे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षक कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी का अंकेक्षण करते हैं।

#### **मानव संसाधन-**

कर्मचारी कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज (VMV) का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः पालन किया जा रहा है।

### **सूचना प्रौद्योगिकी-**

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं एवं कार्य-प्रणाली को सुव्यवस्थित व ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य परिचालन की दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

### **कर्मचारियों का विवरण-**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

### **सुरक्षा और स्वास्थ्य -**

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से भौतिक रूप से दूध को संभालने वाले। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जांच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

### **ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 सपठित कम्पनीज् नियम (लेखांकन), 2014 के अनुसार विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

क. कम्पनी नियमों के भाग अ तथा ब ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर वर्तमान में लागू नहीं होते हैं।

ख. विदेशी विनिमय आय तथा निकासी आय - शून्य, निकासी - शून्य

### **बैठकें**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की पाँच (5) बैठकें विधिवत रूप से दिनांक 19.05.2020, 28.08.2020, 27.11.2020, 23.02.2021 एवं 25.03.2021 को आयोजित की गईं।

### **ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण -**

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी प्रकार का ऋण, गारंटी या विनियोग नहीं दिया है।

### **सम्बन्धित पक्षकारों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण-**

सम्बन्धित पक्षकारों के साथ सभी अनुबंध या व्यवहार परस्पर समान आधारों पर किये गये हैं। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स में दिखाई देता है।

केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी को छोड़कर शेष जो धारा 143 की उपधारा (12) के अनुसार लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत वैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ियों को छोड़कर कोई भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट कम्पनी को नहीं दी गई है।

#### **जोखिम प्रबन्धन नीति-**

मेसर्स रे एण्ड रे, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आंकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और चर्चा की जाती है।

हमारी कम्पनी की ऐसी किसी भी जोखिम को चिन्हित करने व समाप्त करने के लिए जोखिम प्रबन्धन नीति बनी हुई है जो कम्पनी के अस्तित्व के लिए चुनौती बन सकती है।

#### **जमा-**

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा से सम्बन्धित विवरण के सम्बन्ध में किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई राशि जमा नहीं हुई।

#### **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण-**

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ विद्यमान हैं।

#### **लागत अंकेक्षण एवं रिकॉर्ड्स**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी पर लागत अंकेक्षण एवं लागत के रिकॉर्ड्स रखने का प्रावधान लागू नहीं होता है।

#### **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का प्रकटीकरण (रोकथाम, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013**

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का प्रकटीकरण (रोकथाम, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 एवं इसके अंतर्गत दिये गये नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कम्पनी ने आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है और कम्पनी सुरक्षित कार्यस्थल नीति को कार्यान्वित किया है। वित्तीय 2020-21 के दौरान कम्पनी को इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

#### **कोर्पोरेट का सामाजिक दायित्व:-**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कम्पनी पर कंपनियों के सामाजिक दायित्व के प्रावधानों लागू नहीं होते हैं।

#### **सतर्कता प्रणाली**

कम्पनी पर सतर्कता प्रणाली के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।

#### **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016**

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर कंपनी के विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई भी आवेदन या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

**आभार—**

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा किये गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशक मण्डल यूपीएसआरएलएम और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा प्रदान किये गए सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, कम्पनी से सम्बन्धित लोगों के सहयोग, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहना करता है, जिनके प्रयासों के बिना कम्पनी की सर्वांगीण विकास एवं प्रगति सम्भव नहीं हो सकती।

**वास्ते एवं निदेशक मण्डल की ओर से**

**दिनांक —**

**स्थान:—**

**अध्यक्षा**

**डीआईएन**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### बलिनी मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट

#### राय

हमने बलिनी मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट, वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, और रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं। और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना इसलिए अपेक्षित और सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण के अनुरूप लेखा संबंधी मानकों कम्पनियां (लेखा मानक) नियमावली, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित हुआ था, यथा संशोधित और वह दिनांक पर वर्ष समाप्ति पर के लिए 31 मार्च, 2021 और लाभ और अपना नकद प्रवाहों के रूप में कम्पनी की स्थिति की आम तौर पर भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों प्रदान करते हैं।

#### राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गए प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

#### अन्य सूचना

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।
- वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रकट होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही भी की जाये।

#### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 134(6) में वर्णित विषय एवं कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इसमें कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन और उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना भी शामिल है जो वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा उसे बनाये रखना है जिससे कंपनी के वित्तीय लेखे कंपनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करे तथा जो धोखेवाजी तथा त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी को जरी रखने के लिए क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का निर्णय नहीं ले, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

#### **वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय शामिल है। जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण ऑडिट के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भौतिक मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है लेकिन इकाई के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त नहीं है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगति और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसा

प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को जारी रखने में रुकावट उत्पन्न कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की सम्पूर्ण प्रस्तुति, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति देते हो

हम शासन के प्रभारी लोगों के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन किया है जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (छादेश) द्वारा अपेक्षित है, हम अनुबंध 1 में देते हैं। आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, जहां तक लागू हो।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि

(ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(बी) हमारी राय में, कंपनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित रूप से बना रखे हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(सी) इस रिपोर्ट में वर्णित कंपनी का चिह्न, लाभ और हानि का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी के लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

(डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ई) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के आधार पर किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।

(च) इस रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 143 (आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट) की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर उक्त रिपोर्ट कंपनी के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 583(ई) दिनांक 13 जून 2017, शुद्धिपत्र दिनांक 13 जुलाई 2017 के साथ पठित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग के तहत कंपनी को उपलब्ध छूट के आधार पर लागू नहीं है।

(छ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378 C की उपधारा (5) के अनुसार, यह कंपनी के भाग XXIA के तहत पंजीकृत एक निर्माता कंपनी है तथा अधिनियम 2013के प्रावधानों के अनुसार एक निजी कंपनी माना जाता है, तदनुसार कंपनी एक निजी कंपनी होने के कारण कंपनी पर प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम

- i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 29 देखें।
  - ii. कंपनी के पास ब्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ था– वित्तीय विवरणों के लिए नोट 32 देखें;
  - iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी– वित्तीय विवरणों के लिए नोट 30 देखें।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA की धारा 378ZG के अनुसार, हम अनुलग्नक बी में उस खंड में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045

विनेश जैन  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या 087701  
यूडीआईएन  
स्थान  
दिनांक



### स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 के तहत संदर्भित –

- i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में  
(ए) कंपनी ने संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।  
(बी) कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके तहत अचल संपत्तियों को तीन साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सत्यापित किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ अचल संपत्तियों का सत्यापन किया गया था और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।  
(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। (अचल संपत्ति की प्रकृति में) तदनुसार, आदेश के खंड 3(प)(ब) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- ii. प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भौतिक सूची और बुक रिकॉर्ड के बीच भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।
- iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या अन्य पार्टियों को कोई भी सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(a), 3(iii)(b) और 3(iii)(c) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत कवर किए गए किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- v. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के तहत और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के तहत वर्ष की शुरुआत में कोई दावा न की गई जमा राशि नहीं थी तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- vii. (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद आम तौर पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ जमा किया गया है तथा कंपनी वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। इसके अलावा, इसके संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन ने बिक्री कर, वैट, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए कोई भी दायित्व बकाया नहीं है।

(b)हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, और माल और सेवा कर के संबंध में कोई बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है। कंपनी के संचालन ने बिक्री कर, वैट, सीमा शुल्क का कोई अवैतनिक बकाया नहीं है।

- viii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार को देय कोई ऋण या उधार नहीं है और वर्ष के दौरान ऋणपत्र-धारकों को देय कोई राशी बकाया नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- ix. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है और वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण बकाया नहीं था। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- x. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी या कंपनी के किसी भी अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- xi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी पर एक निजी कंपनी होने के कारण, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।
- xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और उचित विवरणों को वित्तीय विवरणों आदि में दर्शाया गया है जो कि लागू लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।
- xiv. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत पंजीकृत है और इसलिए CARO 2016 के खंड (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045

विनेश जैन  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या 087701  
यूडीआईएन  
स्थान  
दिनांक

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध बी

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 के तहत संदर्भित—

- i. वित्तीय विवरणों में नोट 19 में माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋण की राशि का खुलासा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी ऋण को वसूली के रूप में संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के अंत में कंपनी के पास कोई नकदी नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी प्रतिभूतियों को धारण और निवेश नहीं करती है।
- iii. 31 मार्च, 2021 को संपत्ति और दायित्वों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या 000050N/N500045

विनेश जैन  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या 087701  
यूडीआईएन  
स्थान  
दिनांक

**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
**BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2021**

	Note No.	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
<b>A. EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1 Shareholders' funds</b>			
a. Equity share capital	3	1,46,96,700	2,67,900
b. Reserves and surplus	4	5,05,05,402	1,87,23,956
		<u>6,52,02,102</u>	<u>1,09,91,856</u>
<b>2. Share application money pending allotment</b>	37	24,43,200	51,96,100
<b>3. Deferred grant</b>	5	9,82,55,052	5,03,61,107
<b>4 Non - current liabilities</b>			
a. Long - term provisions	6	13,63,910	6,16,693
b. Other long-term liabilities	7	1,38,21,763	53,60,122
		<u>1,51,85,673</u>	<u>59,76,815</u>
<b>5 Current liabilities</b>			
a. Trade payables			
- Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises			
- Outstanding dues of other than micro enterprises and small enterprises	8	5,27,01,441	2,43,00,846
b. Other current liabilities	10	1,89,50,089	1,35,59,086
c. Short - term provisions	6	37,915	38,68,873
		<u>7,16,89,445</u>	<u>4,17,28,815</u>
<b>Total</b>		<u>25,27,75,472</u>	<u>12,22,74,693</u>
<b>B. ASSETS</b>			
<b>1 Non - current assets</b>			
a. Fixed assets			
- Property, plant and equipment	11	9,52,21,461	4,05,09,120
- Intangible assets	11A	15,97,445	8,50,126
- Capital work-in-progress		18,05,724	90,21,861
b. Deferred tax assets	12	3,99,300	1,88,634
c. Long-term loans and advances	13	8,36,672	2,31,950
		<u>9,98,59,602</u>	<u>5,08,01,891</u>
<b>2 Current assets</b>			
a. Inventories	14	92,75,016	34,12,453
b. Trade receivables	15	3,36,57,910	2,22,10,648
c. Cash and cash equivalents	16	7,59,45,490	2,02,68,894
d. Short term loans and advances	17	3,87,675	57,150
e. Other current assets	18	3,36,49,879	2,55,23,657
		<u>15,29,15,870</u>	<u>7,14,72,802</u>
<b>Total</b>		<u>25,27,75,472</u>	<u>12,22,74,693</u>

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

**For S. N. Dhawan & CO LLP**  
Chartered Accountants  
Firm's Registration No. 000050/N/IN/500045



**Vinesh Jain**  
Partner  
Membership No. 087701

Place: *Gurgaon*  
Date: *31 August, 2021*

**For and on behalf of the Board of Directors**  
**Balinee Milk Producer Company Limited**

*31/8/21*  
**Anjani**  
Chairman  
DIN:08341506

*Uma Kanti Pal*  
**Uma Kanti Pal**  
Director  
DIN:08341571

*Om Prakash Singh*  
**Om Prakash Singh**  
Director & Chief Executive  
DIN:08379571

Place: Jhansi  
Date: *31 August, 2021*

**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
 CIN:U01409UP2019PTC112780  
**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2021**

	Note No.	Year ended	Year ended
		31 March, 2021	31 March, 2020
		Rupees	Rupees
1. Revenue from operations	19	60,83,75,842	21,51,22,484
2. Other income	20	6,20,19,873	3,22,16,089
3. Total revenue (1+2)		<u>67,03,95,715</u>	<u>24,73,38,573</u>
<b>4. EXPENSES</b>			
a. Cost of material consumed	21	43,41,924	-
b. Purchase of stock-in-trade	22	53,00,63,394	18,86,23,997
c. Procurement expenses	23	4,04,56,137	90,34,019
d. Changes in inventories of finished goods	24	(56,18,490)	(34,12,453)
e. Finance costs	25	1,14,132	-
f. Employee benefits expense	26	1,86,06,938	1,16,71,449
g. Depreciation and amortisation expenses	27	13,821	-
h. Other expenses	28	4,44,31,607	1,78,06,302
Total expenses		<u>63,24,09,563</u>	<u>22,47,23,314</u>
5. Profit before tax (3-4)		3,79,86,152	2,26,15,259
6. Tax expense:			
(a) Current tax		63,40,751	40,62,137
(b) Deferred tax (credit)		(2,09,466)	(1,71,121)
(c) Taxes for earlier years		54,668	-
Net tax expense		<u>61,85,953</u>	<u>38,91,016</u>
7. Profit for the year(5-6)		<u>3,18,00,199</u>	<u>1,87,24,243</u>
8. Earnings per equity share:	35		
(Nominal value Rs. 100 per share)			
(a) Basic		500.78	13,777.46
(b) Diluted		361.64	351.17

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP  
 Chartered Accountants  
 Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors  
 Balinee Milk Producer Company Limited

  
 Vinesh Jain  
 Partner  
 Membership No. 087701



  
 Anjani  
 Chairman  
 DIN:08341566

  
 Uma Kanti Pal  
 Director  
 DIN:08341571

  
 Om Prakash Singh  
 Director & Chief Executive  
 DIN:08379571

Place: Gurgaon  
 Date: 31 August, 2021

Place: Jhansi  
 Date: 31 August 2021

**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
**CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2021**

	Year ended 31 March, 2021	Year ended 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
<b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:</b>		
Profit / (loss) before tax	3,79,86,152	2,26,15,259
<b>Adjustments For :</b>		
Interest Income	(15,08,766)	(69,230)
Finance cost	1,14,132	-
Depreciation	13,921	-
<b>Operating profit / (loss) before working capital changes</b>	<b>3,66,05,439</b>	<b>2,25,26,029</b>
<b>Adjustments for movement in working capital:</b>		
<b>Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:</b>		
Other long-term liabilities	84,61,641	53,60,122
Trade payables	2,84,00,595	2,36,85,584
Long-term provisions	7,47,217	6,08,475
Short term provisions	20,653	17,108
Other current liabilities	2,35,736	4,77,788
<b>Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:</b>		
Inventories	(58,02,563)	(34,12,453)
Trade receivables	(1,14,47,262)	(2,22,10,648)
Long-term loans and advances	(1,22,996)	(2,31,950)
Short-term loans and advances	(3,30,425)	(57,150)
Other current assets	21,107	(2,63,024)
<b>Cash from operations</b>	<b>5,67,29,142</b>	<b>2,64,99,882</b>
Income tax paid (net)	(1,07,28,756)	(2,28,526)
<b>Net cash flow from operating activities (A)</b>	<b>4,60,00,386</b>	<b>2,62,71,356</b>
<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:</b>		
Purchase of property, plant and equipment	(5,52,92,221)	(4,05,26,669)
Other bank balances not classified as cash and cash equivalent	(5,40,50,105)	(1,17,00,000)
Interest income	15,40,913	89,230
<b>Net cash flow (used in) investing activities (B)</b>	<b>(10,78,01,413)</b>	<b>(5,21,37,639)</b>
<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:</b>		
Proceeds from issue of equity share capital	1,44,28,800	2,56,900
Share application money received	(27,52,900)	51,96,100
Dividend paid	(18,648)	-
Grant received	11,11,30,000	-
Finance cost paid	(1,14,132)	-
Interest earned on grant	1,46,213	20,16,019
Grant utilised for revenue expenditure	(5,93,91,815)	(3,15,14,417)
<b>Net cash flow from/(used in) financing activities (C)</b>	<b>6,34,27,518</b>	<b>(2,40,45,398)</b>
<b>Net Increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)</b>	<b>16,26,491</b>	<b>(4,99,11,681)</b>
Cash and cash equivalents at beginning of the year	85,68,894	5,84,80,575
<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>	<b>1,01,95,385</b>	<b>85,68,894</b>
<b>Cash and cash equivalents comprises:</b>		
Balances with banks:		
in current accounts	1,01,95,385	85,68,894
Cash and cash equivalents as per cash flow statement	<b>1,01,95,385</b>	<b>85,68,894</b>

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

**For S. N. Dhawan & CO LLP**

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 000050N/N500096

*Vinesh Jain*  
Vinesh Jain

Partner

Membership No. 087701



Place: Gurgaon

Date: 31 August, 2021

**For and on behalf of the Board of Directors**  
**Balinee Milk Producer Company Limited**

*Anant*  
Anant  
Chairman  
DIN:08341566

*Uma Kanti Pal*  
Uma Kanti Pal  
Director  
DIN:08341571

*Om Prakash Singh*  
Om Prakash Singh  
Director & Chief Executive  
DIN:08379571

Place: Jhansi

Date: 31 August, 2021

**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
**CIN:U01409UP2019PTC112780**  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

---

**1 Corporate Information**

Balinee Milk Producer Company Limited (the Company) was incorporated on 24th January, 2019, under Part IXA of the Companies Act, 1956 with the main object to carry on the business of pooling, purchasing, processing of milk and milk products primarily of the members, to provide technical and managerial services in the area of breeding, feedfodder, veterinary services to increase milk production for the benefit of the members and to deal in activities that are part of or incidental to any activity related thereto.

The Company procures milk directly from milk producers through Milk Pooling Points (MPP) in villages of District Jhansi, Banda, Chitrakoot, Hamirpur & Jalaun and sells to dairies. The Company also trades in Cattle Feed.

**2 Significant accounting policies**

**2.1 Basis of accounting**

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the New Act").

The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention.

All the assets and liabilities have been classified as current or non current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the Company and their realization in cash and cash equivalent, the Company has ascertained its operating cycle to be 12 month for the purpose of current- non current classification of assets and liabilities.

**2.2 Use of estimates**

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialise.

**2.3 Cash flow statement**

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Accounting Standard (AS) 3 on 'Cash Flow Statement', whereby profit/(loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments.

The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an original maturity of three month or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

**2.4 Revenue Recognition**

Sales are recognized net of returns and trade discounts, on transfer of significant risk and rewards of ownership to the buyers, which generally coincides with the delivery of goods to customers.

**2.5 Other Income**

Interest income on deposits and admission fees from members are recognized on accrual basis.





**2.6 Property, Plant and Equipment and Intangibles**

Property, plant and equipment and intangible assets are carried at cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. The cost of property, plant and equipment and intangible assets comprises their purchase price net of any trade discounts and rebates, other taxes (others than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying property, plant and equipment up to the date asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on property, plant and equipment after its purchase is capitalized only if such expenditure results in an increase in future benefits from such asset beyond its previous assessed standard of performance.

**Capital work-in-progress:**

Projects under which tangible fixed assets are not yet ready for their intended use are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable interest.

**2.7 Depreciation and amortization**

Depreciation on property, plant & equipment and intangible assets has been provided on straight line method as per the useful life of the assets, taking into account the nature of the asset, the estimated useful life of assets as estimated by the management, the operating condition of the asset, past history of replacements, anticipated technological changes, manufactured warranties and maintenance support etc. as under:

Description	Useful life
Plant and machinery	1 to 10 Years
Computer	3 Years
Furniture and fixtures	1 & 10 Years
Office equipments	1 & 5 Years
Softwares	3 Years
Trademark	4 Years

**Note:**

Based on technical evaluation, the management believes that the useful lives as given above best represent the period over which the Management expects to use these assets. Hence, the useful lives for these assets is different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

**2.8 Inventories**

Inventories comprises of trading good (milk). Inventories are valued at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence and other losses, wherever considered necessary. Cost is determined using First In First Out (FIFO) method. Cost includes all charges incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Small tools, chemicals, stores and spares and consumables are charged to consumption as and when purchased.

**2.9 Grants**

Grants and subsidies are recognized when there is reasonable assurance that the company will comply with the conditions attached to them and the grants/subsidies will be received. Grants related to depreciable Property, Plant & Equipment are treated as deferred grants which is recognised in the statement of profit and loss on a systematic and rational basis over the useful life of the asset i.e. depreciation charge on assets procured from such grants is appropriated from Deferred Grant and recognized in the statement of profit and loss by way of reduced depreciation charge.

Revenue government grants and subsidies are recognized as income over the periods necessary to match them with costs for which they are intended to compensate on a systematic basis.

**2.10 Employee Benefits**

Employee benefits includes Provident Fund, Gratuity and Leave Encashment.

**i. Defined Contribution Plans :**

The Company's contributions to provident fund is considered as defined contribution plan and are charged to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contributions required to be made as and when services are rendered by the employees.





**ii. Defined Benefit Plans :**

The Company's gratuity and leave encashment are considered as defined benefit plan. The present value of the obligation under such defined benefit plan is determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognises each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation is measured at the present value of the estimated future cash flows. The discount rate used for determining the present value of the obligation under defined benefit plans, is based on the market yields on government securities as at the balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

**iii. Short-term employee benefits :**

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange of services rendered by employees is recognised during the year when the employees render the service. These benefits include salaries, wages, bonus and performance incentives which are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short term compensated absences is accounted as under:

- a. in case of accumulated compensated absences, when employees render the services that increase their entitlement of future compensated absences; and
- b. in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

**iv. Long-term employee benefits :**

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the Balance Sheet date less the fair value of the plan assets, if any out of which the obligations are expected to be settled.

**2.11 Segment reporting**

The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature of risks and returns and the internal organisation and management structure. The operating segments are the segments for which separate financial information is available and for which operating profit / loss amounts are evaluated regularly by the executive Management in deciding how to allocate resources and in assessing performance.

**2.12 Earning Per Share:**

The Company reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard, AS - 20, Earnings Per Share. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the result would be anti-dilutive.



### 2.13 Taxes on income

Income Tax expense comprises current tax and deferred tax. Current tax liability is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the applicable tax rates and provisions of Income Tax Act, 1961, considering deduction available under section 80 PA of Income Tax Act, 1961 and other applicable tax laws.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is highly probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

Deferred tax is recognised on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all timing differences. Deferred tax assets are recognised for timing differences of items other than unabsorbed depreciation and carry forward losses only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against which these can be realised. However, if there are unabsorbed depreciation and carry forward of losses and items relating to capital losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that there will be sufficient future taxable income available to realise the assets. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legally enforceable right for such set off. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date for their realisability.

### 2.14 Impairment of Asset

The carrying values of assets / cash generating units at each balance sheet date are reviewed for impairment if any indication of impairment exists.

If the carrying amount of the assets exceeds the estimated recoverable amount, impairment is recognised for such excess amount. The impairment loss is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss, unless the asset is carried at revalued amount, in which case any impairment loss of the revalued asset is treated as a revaluation decrease to the extent a revaluation reserve is available for that asset.

The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

When there is indication that an impairment loss recognised for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognised.

### 2.15 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding retirement benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are not recognised in the financial statements.



**2.16 Leases**

Where the Company as a lessor leases assets under finance leases, such amounts are recognised as receivables at an amount equal to the net investment in the lease and the finance income is recognised based on a constant rate of return on the outstanding net investment.

Assets leased by the Company in its capacity as lessee where substantially all the risks and rewards of ownership vest in the Company are classified as finance leases. Such leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value and the present value of the minimum lease payments and a liability is created for an equivalent amount. Each lease rental paid is allocated between the liability and the interest cost so as to obtain a constant periodic rate of interest on the outstanding liability for each year.

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

**2.17 Operating cycle**

Based on the nature of products/ activities of the company and the normal time between acquisition of assets and their realisation in cash or cash equivalents, the company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED  
CIN:U01400UP2019PTC112780  
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

3 Equity share capital

	As at 31 March, 2021		As at 31 March, 2020	
	Number of shares	Amount Rupees	Number of shares	Amount Rupees
<b>a. Authorised share capital</b>				
Equity Shares of Rs. 100 each	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000
<b>b. Issued, subscribed and fully paid up share capital</b>				
Equity Shares of Rs. 100 each	1,46,967	1,46,96,700	2,679	2,67,900

See notes (i) to (v) below

Notes:

- i. The Company has only one class of shares referred to as Equity Shares having a par value of Rs.100/- per share. Every member shall have a single vote, provided that the member has poured milk for at least 200 days totalling to at least 500 liters in a year. However at the first two Annual General Meeting of the Company, all member shall have a single vote each.
- ii. Members are entitled to limited returns (dividend) and bonus in accordance with Articles of Association of the Company.
- iii. Reconciliation of number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the year:

	Year ended 31 March, 2021		Year ended 31 March, 2020	
	Number of shares	Amount Rupees	Number of shares	Amount Rupees
Balance outstanding at the beginning of the year	2,679	2,67,900	110	11,000
Shares issued during the year (net of shares cancelled surrendered and reissued during the year)	1,44,288	1,44,28,800	2,569	2,56,900
Balance outstanding at the end of the year	<u>1,46,967</u>	<u>1,46,96,700</u>	<u>2,679</u>	<u>2,67,900</u>

- iv. The Company is registered under part XXIA of the Companies Act, 2013 as 'Producer Company' and none of the member holds 5% or more of the share capital of the Company.
- v. As per Articles of Association of the Company, if board is satisfied that any member has failed to retain the qualification as a member, the board shall direct the member to surrender her shares to the Company at par value or such other value as determined by the Board. Surrendered equity share shall be deemed to be the property of the Company and may be sold to members or otherwise cancelled as the Board thinks fit.



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED  
CIN:U01406UP2019PTC112780  
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
<b>4 Reserves and surplus</b>		
<b>a. General reserve</b>		
Opening Balance	-	-
Add: Transferred from surplus in Statement of Profit and Loss	1,87,05,490	-
Closing Balance	<u>1,87,05,490</u>	<u>-</u>
<b>b. Surplus in Statement of Profit and Loss</b>		
Opening balance	1,87,23,956	(287)
Add: Profit for the year	3,18,00,199	1,87,24,243
Less:		
Final limited return to the member for the year ended 31 March,2020 (Rs.7 per share)	18,753	-
Transferred to general reserve	1,87,05,490	-
Closing balance	<u>3,17,99,912</u>	<u>1,87,23,956</u>
	<u>5,05,05,402</u>	<u>1,87,23,956</u>
<b>5 Deferred grant</b>		
Balance at the beginning of the year	5,03,81,107	-
Capital grant utilised during the year (see note 9)	6,00,63,873	5,35,97,037
	<u>11,04,44,980</u>	<u>5,35,97,037</u>
Less: Depreciation pertaining to assets acquired from grant	1,21,89,928	32,15,930
	<u>9,82,55,052</u>	<u>5,03,81,107</u>
<b>Note:</b>		
i. The grant received has been recognised as liability till the utilisation of the grant.		
<b>6 Provisions</b>		
<b>a. Long term provisions</b>		
i. Provision for gratuity	5,51,290	2,47,972
ii. Provision for compensated absence	8,12,620	3,68,721
	<u>13,63,910</u>	<u>6,16,693</u>
<b>b. Short term provisions</b>		
i. Provision for gratuity	10,370	4,684
ii. Provision for compensated absence	27,545	12,598
iii. Provision for income tax	-	38,51,611
	<u>37,915</u>	<u>38,68,873</u>
<b>7 Other long-term liabilities</b>		
a. Security/trade deposits	1,38,21,783	53,60,122
	<u>1,38,21,783</u>	<u>53,60,122</u>
<b>8 Trade payable</b>		
a. Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (see note 9 below)	-	-
b. Outstanding dues of other than micro enterprises and small enterprises	5,27,01,441	2,43,00,846
	<u>5,27,01,441</u>	<u>2,43,00,846</u>



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
<b>Note</b>		
i. The disclosure of the amount outstanding to micro enterprises and small enterprises are as follows:		
Amount payable to suppliers under MSME (suppliers) as on 31 March		
- Principal	-	-
- Interest	-	-
Payments made to supplier beyond the appointed day during the year		
- Principal	-	-
- Interest	-	-
Amount of interest due and payable for delay in payment (which have been paid beyond the appointed day during the year) but without adding interest under MSME.	-	-
Amount of interest accrued and remaining unpaid as on 31 March	-	-
Amount of interest remaining due and payable to suppliers disallowable as deductible expenditure under Income Tax Act, 1961.	-	-
<b>9 Unutilised grant</b>		
a. Unutilised grant for operating/capital expenditure (see note 1 below)	-	-
<b>i. Grant for operating/capital expenditure</b>		
Opening balance		
- Unspent grant		5,78,34,802
- Grant recoverables	2,52,60,632	
	<u>2,52,60,632</u>	<u>5,78,34,802</u>
Increase in grant liability / decrease in grant recoverable for		
Grant received during the year	11,11,30,000	-
Interest income on grant (see note 20)	1,46,213	20,16,019
	<u>11,12,76,213</u>	<u>20,16,019</u>
Utilisation of Grant		
Utilised for revenue expenditure (see note 20)	5,93,91,815	3,15,14,417
Utilised for capital expenditure (see note 5)	6,00,63,873	5,35,97,037
	<u>11,94,55,688</u>	<u>8,51,11,454</u>
Closing balance of Unutilised Grant	-	-
Closing balance of grant recoverable	<u>3,34,40,107</u>	<u>2,52,60,632</u>
Less: Amount recognised under other current assets (see note 18)	<u>(3,34,40,107)</u>	<u>(2,52,60,632)</u>
	-	-
<b>ii. Terms of Grant:</b>		
a. Total sanctioned amount of grant is Rs. 40,88,42,000/-		
b. Term of grant is initially for a period of three years, commencing from 1 March, 2019 to 28 February, 2022. The funding shall be extended for activities.		



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN-U01409UP2019PTC112780  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

**c. Purpose of the grant:**

The grant is to be specifically used for the objectives set out below. The objective is to develop dairy value chain in districts of Bundelkhand region of Uttar Pradesh namely, Banda Chitrakoot, Hamirpur, Jalaun & Jhansi by organizing milk producer to form one member owned Milk producer company (MPC) which would ensure:

- Setting up a fair and transparent milk procurement systems and accurate and timely payment to the Milk producers directly in their saving bank account.
- Safeguarding the interest of dairy farmers by providing round the year access to organised market
- Strengthening the capacity of the proposed Milk producer company's stakeholders through education, training and other extension activities
- Arranging to provide technical input services in the areas of breeding nutrition care and management of mulch animals to increase milk productivity for the benefits of members.

**d. Repayment of grant**

Any funds lying unutilized including accrued, actual interest post expiry of the grant period shall be returned/ repaid to UP-SRLM within one month from the agreed date of closure by a prescribed mode notified at the time by officials of UP-SRLM.

**iii. Grant utilisation**

**a. Grant for capital expenditure**

The grant utilised for capital expenditure has been recorded as deferred grant (see note 5) which subsequently adjusted with the amortisation expenses of property plant and equipment acquired from the grant on systematic basis.

**b. Grant for operating expenditure**

The grant received for the specific expenditure has been recognised as liability till the utilisation of the grant, when the expenditure incurred the Company recognised corresponding income under "Other income".

iv. There are no unfulfilled conditions or contingencies attached to these grants which management expect not to fulfill.

v. The Details of grant received(net) till 31 March, 2021 are as follows:

Particulars	Amount Rupees
Financial Year in which Grant is received.	
-2018-19	5,84,70,000
-2019-20	-
-2020-21	11,11,30,000
<b>Total grant received till 31 March, 2021</b>	<b>16,96,00,000</b>

**10 Other current liabilities**

	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
a. Statutory dues (Contribution to Provident fund, withholding taxes etc.)	6,20,762	4,88,928
b. Payable for fixed assets	1,82,25,320	1,30,70,168
c. Advances received from customers	1,03,802	-
d. Unpaid/unclaimed dividend	105	-
	<b>1,89,60,089</b>	<b>1,35,69,096</b>





BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED  
 CIN:U01409UP2019PTC112768  
 NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

11 Property, plant and equipment

	Furniture and fixture Rupees	Plant and machinery Rupees	Computers Rupees	Office equipment Rupees	Leasehold improvements	Total Rupees
<b>Opening balance</b>						
Additions	16,98,286	3,90,08,022	27,43,778	65,248	-	4,34,65,334
Disposals	-	-	-	-	-	-
<b>Balance as at 31 March, 2020</b>	<b>16,98,286</b>	<b>3,90,08,022</b>	<b>27,43,778</b>	<b>55,248</b>	<b>-</b>	<b>4,34,65,334</b>
Additions	31,19,332	5,79,52,432	38,802	15,18,757	96,00,995	6,62,30,298
Disposals	-	-	-	-	-	-
<b>Balance as at 31 March, 2021</b>	<b>47,77,618</b>	<b>9,69,60,454</b>	<b>27,82,580</b>	<b>18,74,005</b>	<b>36,00,935</b>	<b>10,96,95,592</b>
<b>Accumulated depreciation</b>						
<b>Opening balance</b>						
Additions	6,00,242	18,63,583	4,80,809	11,590	-	29,66,214
Disposals	-	-	-	-	-	-
<b>Balance as at 31 March, 2020</b>	<b>6,00,242</b>	<b>18,63,583</b>	<b>4,80,809</b>	<b>11,590</b>	<b>-</b>	<b>29,66,214</b>
Additions	14,62,324	85,49,320	9,26,381	1,40,169	4,39,723	1,15,17,917
Disposals	-	-	-	-	-	-
<b>Balance as at 31 March, 2021</b>	<b>20,62,566</b>	<b>1,04,12,903</b>	<b>14,07,190</b>	<b>1,51,749</b>	<b>4,39,723</b>	<b>1,44,74,131</b>
<b>Net carrying amount</b>						
Balance as at 31 March, 2020	10,58,044	3,71,44,439	22,62,969	43,658	-	4,05,09,120
Balance as at 31 March, 2021	27,15,052	8,65,47,561	13,75,390	14,22,259	31,61,212	9,62,21,461

Note:

1. Property plant and equipment is funded by grant (see note 9).





**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**11A Intangible assets**

	Software	Trademark	Total
	Rupees	Rupees	Rupees
<b>Gross cost</b>			
<b>Opening balance</b>			
Additions	11,09,842	-	11,09,842
Disposals	-	-	-
<b>Balance as at 31 March, 2020</b>	<b>11,09,842</b>	<b>-</b>	<b>11,09,842</b>
Additions	10,49,752	3,83,500	14,33,252
Disposals	-	-	-
<b>Balance as at 31 March, 2021</b>	<b>21,59,594</b>	<b>3,83,500</b>	<b>25,43,094</b>
<b>Accumulated depreciation</b>			
<b>Opening balance</b>			
Additions	2,59,716	-	2,59,716
Disposals	-	-	-
<b>Balance as at 31 March, 2020</b>	<b>2,59,716</b>	<b>-</b>	<b>2,59,716</b>
Additions	6,72,011	13,922	6,85,933
Disposals	-	-	-
<b>Balance as at 31 March, 2021</b>	<b>9,31,727</b>	<b>13,922</b>	<b>9,45,649</b>
<b>Net carrying amount</b>			
<b>Balance as at 31 March, 2020</b>	<b>8,50,126</b>	<b>-</b>	<b>8,50,126</b>
<b>Balance as at 31 March, 2021</b>	<b>12,27,867</b>	<b>3,69,578</b>	<b>15,97,445</b>

**Note:**  
Intangible assets is funded by grant (see note 9).



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTG112780  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
<b>12 Deferred tax assets (net)</b>		
(i) Tax effect of items constituting deferred tax assets:		
a. Provision for compensated absences and gratuity	3,89,988	1,76,366
b. Disallowances under section 35D of the Income Tax Act	8,312	12,468
	<u>3,98,300</u>	<u>1,88,834</u>
(ii) Tax effect of items constituting deferred tax liabilities:		
a. On difference between book balance and tax balance of fixed assets	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Net deferred tax asset</b>	<u>3,98,300</u>	<u>1,88,834</u>
Amount recognised in profit and loss	<u>2,09,466</u>	<u>1,71,121</u>
<b>13 Long term loans and advances</b> unsecured considered good (unless otherwise stated)		
a. Advance tax (net of provision of Rs 64,54,883)	4,81,726	-
b. Security deposits	1,46,590	2,31,950
c. Loan to others	2,08,356	-
	<u>8,36,672</u>	<u>2,31,950</u>
<b>14 Inventories</b>		
a. Raw material	2,44,073	-
b. Finished goods - Ghee	33,50,451	-
c. Stock in trade		
- Raw bulk milk	47,91,914	34,11,603
- Cattle feed	8,88,578	850
	<u>56,80,492</u>	<u>34,12,453</u>
	<u>92,75,016</u>	<u>34,12,453</u>
<b>15 Trade receivables</b> (Unsecured and considered good)		
a. Trade receivable outstanding for a more than six months from the date they are due for payment	-	-
b. Trade receivable outstanding for a period less than six months from the	3,36,57,910	2,22,10,648
	<u>3,36,57,910</u>	<u>2,22,10,648</u>
<b>16 Cash and bank balances</b>		
a. Balance with banks:		
i. In current accounts	1,01,95,385	85,68,894
<b>Cash and cash equivalents as per AS 3 - Cash (A)</b>	<u>1,01,95,385</u>	<u>85,68,894</u>
b. Other bank balances		
i. In earmarked account - Unpaid dividend account	105	-
i. In fixed deposits account (original maturity of more than 3 months)	6,57,50,000	1,17,00,000
<b>Total - Other bank balances (B)</b>	<u>6,57,50,105</u>	<u>1,17,00,000</u>
<b>Total Cash and bank balances (A+B)</b>	<u>7,59,45,490</u>	<u>2,02,68,894</u>



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
 CIN:U01409UP2019PTC112760  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
<b>17 Short term loans and advances (Unsecured, considered good)</b>		
a. Prepaid expenses	1,66,632	57,150
b. Loan to others	<u>2,20,943</u>	<u>-</u>
	<u>3,87,575</u>	<u>57,150</u>
<b>18 Other current assets</b>		
a. Grant recoverable (see note 9)	3,34,40,107	2,52,60,632
b. Interest accrued on fixed deposits	43,735	75,862
c. Other recoverables	<u>1,66,037</u>	<u>1,87,143</u>
	<u>3,36,49,879</u>	<u>2,55,23,637</u>



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

	Year ended 31 March, 2021 Rupees	Year ended 31 March, 2020 Rupees
<b>19 Revenue from operations</b>		
(a) Sale of products (see note T below)	60,83,75,842	21,51,22,484
	<u>60,83,75,842</u>	<u>21,51,22,484</u>
<b>Note:</b>		
<b>Sale of products comprises:</b>		
i. Manufactured goods		
a. Ghee	20,92,161	-
	<u>20,92,161</u>	<u>-</u>
ii. Traded goods		
a. Raw Milk	58,12,76,246	21,30,44,604
b. Cattle feed	1,30,58,960	20,77,880
c. Ghee	19,48,475	-
Total	<u>60,62,83,681</u>	<u>21,51,22,484</u>
	<u>60,83,75,842</u>	<u>21,51,22,484</u>
<b>20 Other Income</b>		
a. Revenue recognised from grant utilisation	5,93,91,815	3,15,14,417
b. Interest income		
- On fixed deposits (see Note T below)	15,34,616	89,230
- On loans	25,850	-
c. Admission fee from members	6,27,564	3,68,310
d. Miscellaneous income	4,40,028	2,43,132
	<u>6,20,19,873</u>	<u>3,22,16,089</u>
<b>Note:</b>		
i. Interest income		
Interest income on fixed deposits	16,80,829	21,05,249
Less: Amount transferred to un-utilized grant (see note 9)	(1,46,213)	(20,16,019)
Interest income recorded in other income	<u>15,34,616</u>	<u>89,230</u>
<b>21 Cost of material consumed</b>		
<b>Raw material</b>		
a. Opening stock	-	-
b. Add: Purchases	45,85,997	-
	<u>45,85,997</u>	<u>-</u>
c. Less: Closing stock	2,44,073	-
	<u>43,41,924</u>	<u>-</u>
<b>22 Purchases of traded goods</b>		
a. Purchases of raw bulk milk	51,67,18,710	18,76,71,547
b. Purchases of cattle food	1,11,97,972	19,52,450
c. Purchases of mineral mixture	3,65,800	-
d. Purchases of ghee	17,80,912	-
	<u>53,00,63,394</u>	<u>18,96,23,997</u>
<b>23 Procurement Expense</b>		
a. Freight inward	2,11,42,632	36,80,582
b. Pouter incentive	43,72,357	7,52,708
c. Sahayak incentive	1,25,63,856	33,44,176
d. Chemical and consumables	23,77,292	12,56,553
	<u>4,04,56,137</u>	<u>90,34,019</u>



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

	Year ended 31 March, 2021 Rupees	Year ended 31 March, 2020 Rupees
<b>24 Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade</b>		
<b>a. Inventories at the beginning of the year</b>		
Stock in trade	34,12,453	-
<b>b. Inventories at the end of the year</b>		
Finished Goods	33,50,451	-
Stock in trade	56,80,492	34,12,453
Net decrease/ (increase) in inventories	<u>(56,18,490)</u>	<u>(34,12,453)</u>
<b>25 Finance costs</b>		
a. Interest on delay payment of income tax	1,14,132	-
	<u>1,14,132</u>	<u>-</u>
<b>26 Employee benefits expense</b>		
a. Salaries and wages	1,70,58,375	1,10,91,652
b. Contribution to provident fund	9,98,468	2,56,192
c. Gratuity expenses	3,18,876	2,44,265
d. Staff welfare expenses	2,43,219	79,340
	<u>1,86,06,938</u>	<u>1,16,71,449</u>
<b>27 Depreciation and amortization expenses</b>		
a. Depreciation on property, plant and equipment	1,15,17,916	29,56,214
b. Depreciation on intangible assets	6,85,933	2,59,716
	<u>1,22,03,849</u>	<u>32,15,930</u>
Less: Depreciation pertaining to assets acquired on grant (see note 5)	<u>(1,21,89,928)</u>	<u>(32,15,630)</u>
	<u>13,921</u>	<u>-</u>
<b>28 Other expenses</b>		
a. Distribution, freight and forwarding	1,42,76,615	55,62,302
b. Rent	17,17,130	7,81,423
c. Contractual manpower charges	1,00,21,129	37,13,221
d. Power and fuel expenses	32,97,434	12,32,900
e. Milk chilling expenses	29,60,226	-
f. Travelling and conveyance	41,32,863	25,57,936
g. Meeting and training expenses	28,38,759	12,67,382
h. Repair and maintenance - others	2,22,663	1,32,622
i. Legal and professional fees	3,64,075	2,76,182
j. Auditor's remuneration (refer note (i) below)	1,18,000	76,700
k. Insurance expenses	3,12,934	1,23,971
l. Printing and stationery	8,33,626	3,37,366
m. Communication expenses	7,45,078	2,25,088
n. AI technician expenses	9,24,471	2,16,992
o. AI and Nutritional Service Delivery Cost	6,45,414	2,45,763
p. Rate and taxes	1,92,488	6,10,818
q. Ghee processing charges	4,34,262	-
r. Miscellaneous expenses	3,94,240	4,45,634
	<u>4,44,31,607</u>	<u>1,78,06,302</u>
<b>Note:</b>		
<b>i. Auditors' remuneration comprises:</b>		
a. Statutory audit fee	82,600	70,800
b. Certification fee	11,800	5,900
c. Tax audit fee	23,600	-
	<u>1,18,000</u>	<u>76,700</u>



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

- 29 The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its financial statements. Contingent liabilities Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
- 30 There were no amount which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company
- 31 The estimated amount of contracts remaining to be executed on capital amount and not provided for (net of advances) amount to Rs. 45,40,700 (previous year Rs. 1,75,57,680)
- 32 The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- 33 **Employee benefit plans**

**Defined-contribution plans**

The Company makes Provident Fund contributions which is defined contribution plan, for qualifying employees. Under the Schemes, the Company is required to contribute a specified percentage of the payroll costs to fund the benefits. The contributions payable to these plans by the Company are at rates specified in the rules of the schemes.

The Company's contributions towards provident fund is charged to the Statement of Profit and Loss comprises :

	Year ended 31 March, 2021 Rupees	Year ended 31 March 2020 Rupees
Contribution towards provident fund and other funds	9,86,468	2,56,192

**Defined-benefits plans**

The Company offers its employees defined-benefit plan in the form of a gratuity scheme (a lump sum amount). Benefits under the defined benefit plan is based on years of service and the employee's compensation (immediately before separation). The gratuity scheme covers all regular employees. Actuarial valuation is done based on "Projected Unit Credit" method. Gains and losses of changed actuarial assumptions are charged to the Statement of Profit and Loss.

The following tables sets out the status of the defined benefit scheme in respect of Gratuity and amount recognised in the financial statements.

i. Changes in Present Value of Benefit Obligation	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
Present Value of Benefit Obligation at beginning of the year	2,52,636	8,371
Current Service Cost	3,23,980	2,52,636
Interest Cost	17,176	569
Benefit Paid	(9,852)	-
Actuarial Losses (Gains)	(22,283)	(8,940)
Present value of obligations at the end of the year	<u>5,61,660</u>	<u>2,52,636</u>
	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
ii. Fair value of Plan Assets		
Fair value of plan assets at the end of the year	-	-
The scheme is unfunded, hence plan assets are Nil.		
	As at 31 March, 2021 Rupees	As at 31 March, 2020 Rupees
iii. Amount recognised in the Balance Sheet		
Present Value of Benefit Obligation at end of the year	5,61,660	2,52,636
Fair Value of Plan Assets at end of the year	-	-
<b>Net Liability recognized in Balance Sheet</b>	<u>5,61,660</u>	<u>2,52,636</u>



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

iv. Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss	For the year ended	For the year ended
	31 March, 2021	31 March, 2020
	Rupees	Rupees
Current Service cost	3,23,980	2,52,636
Interest cost	17,179	569
Expected Return on Plan Assets	-	-
Net actuarial losses (gains) recognized in the year	(22,263)	(8,940)
Expenses recognized in Statement of Profit and Loss	<u>3,18,876</u>	<u>2,44,265</u>

v. Balance Sheet reconciliation	As at	As at
	31 March, 2021	31 March, 2020
	Rupees	Rupees
Net liability at the beginning of the year	2,52,636	8,371
Expenses as above	3,18,876	2,44,265
Payments	(9,852)	-
Net liability(asset) at the end of the year	<u>5,61,660</u>	<u>2,52,636</u>

vi. Principal actuarial assumptions	As at	As at
	31 March, 2021	31 March, 2020
Discount rate	6.80%	6.80%
Expected salary escalations	7.00%	7.00%
Attrition rate	5% to 1%	5.00%
Expected return on plan assets	N.A.	N.A.
Mortality table used	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate

The discount rate is based on prevailing market yields of Government of India securities as at the balance sheet date for the estimated term of obligation.

The estimates of future salary increases considered, takes into account the inflation, seniority, promotions, increments and other relevant factors.

vii. Liabilities at year end	As at	As at
	31 March, 2021	31 March, 2020
Non current	5,51,290	2,47,972
Current	10,370	4,664
	<u>5,61,660</u>	<u>2,52,636</u>



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED  
CIN:U01409UP2019PTC112780  
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**34 Lease Commitments**  
**Operating Lease - As lessee**

The lease rentals charged during the year for cancellable/non-cancellable leases relating to rent of building premises as per the agreements and maximum obligation on long-term non-cancellable operating leases are as follows:

	Year ended 31 March, 2021	Year ended 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
Lease rentals	17,17,130	7,81,423
<b>Obligations on Non-cancellable leases :-</b>		
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	Rupees	Rupees
Pavable not later than one year	10,47,324	12,14,850
Pavable later than one year but not later than five years	6,57,397	15,49,309
Payable later than five years	-	-
	17,04,711	27,64,159

**35 Earnings Per Equity Share**

	Unit	Year ended 31 March, 2021	Year ended 31 March, 2020
Net profit after tax	Rs.	3,18,00,199	1,87,24,243
Weighted average number of equity shares c during the period	Numbers	63,501	1,359
Nominal value per Equity Shares	Rupees	100	100
Basic earnings per share	Rupees	500.78	13,777.46
Weighted average number of equity shares c	Numbers	63,501	1,359
Add: Effect of share application money	Numbers	24,432	51,981
Weighted average number of equity shares -	Numbers	87,933	53,320
Diluted earnings per share	Rupees	361.64	351.17

**36 Disclosures as required by the Accounting Standard (AS) 18 – "Related Party Disclosures" are as below:**

**A. Name of the related parties and nature of relationship**

Name of person	Nature of Relationship
<b>Key Management Personnel:</b>	
Om Prakash Singh	Chief Executive and Director
Anjani	Director
Sarita Devi	Director
Uma Kanti Pal	Director
Alok Kumar Gupta	Expert Director
Sulekha Devi	Director
Aarti Rajpoot	Director (w.e.f 25 October, 2020)
Rachna Devi	Director (w.e.f 25 November, 2020)
Kalpna Devi	Director (w.e.f 25 November, 2020)





**B. The nature and volume of transactions during the period with the above related parties are as follows:**

Name of related party	Nature of transaction	For the year ended	For the period ended
		31 March, 2021	31 March, 2020
		Rupees	Rupees
Om Prakash Singh	Managerial remuneration	22,10,130	18,64,103
Anjani Devi	Sitting Fees	4,426	1,770
Aradhana Devi	Sitting Fees	886	885
Raj Kumari	Sitting Fees	885	1,770
Sarita Devi	Sitting Fees	2,655	-
Uma Kanti Pal	Sitting Fees	4,425	1,770
Sulekha Devi	Sitting Fees	1,770	885
Aarti Rajpoot	Sitting Fees	1,770	-
Rachna Devi	Sitting Fees	2,655	-
Kalpana Devi	Sitting Fees	886	-
Om Prakash Singh	Reimbursement of expenses	54,055	2,70,089

**C. Balance outstanding as at year end**

	As at	As at
	March 31, 2021	March 31, 2020
		Rupees
Om Prakash Singh	-	4,240
	-	4,240



**BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED**  
CIN:U01409UP2019PTC112760  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

---

- 37 As at 31 March 2021, the Company has received an amount of Rs. 24,43,200 towards share application money towards 24,432 equity shares of the Company at a premium of Rs. Nil. Subsequently, the Company has allotted the shares on 30th April, 2021. The Company has sufficient authorised capital to cover the allotment of these shares. Pending allotment of shares, the amounts are maintained in a designated bank account and are not available for use by the Company.
- 38 The disclosures as required under Accounting Standard AS-17 on Segment reporting are not required as the Company primarily deals in single business segment of trading of Milk and cattle feeds and operates in one geographical segment.
- 39 All assets and liabilities are presented as Current or Non-current as per criteria set out in Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the company, its operations and realization, the company has ascertained its operating cycle of less than 12 months. Accordingly 12 months period has been considered for the purpose of Current/ Non-current classification of assets and liabilities.
- 40 The Company has not meet the conditions of CSR rules, net worth, turnover and net profit hence the provisions of CSR not applicable to the Company.
- 41 The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 8 (i.e., 8%) per equity share of Rs. 100 each for the financial year ended 31 March, 2021. The dividend payment is subject to approval of members at the ensuing Annual General Meeting.
- 42 The Company's business of dealing in milk and milk products has been considered as essential service. Hence, dairy industry in which the Company operates is among the businesses that are not significantly impacted consequent to disruption due to COVID-19. Therefore, the Company believes that thus far, there is no significant impact of COVID-19 pandemic on the financial position of the Company. Further, the Company is not expecting any significant change in estimates as of now as the company is running its business and operations as usual without any major disruptions.
- 43 The Code on Social Security, 2020 (Code) relating to employee benefits, during employment and post-employment benefits, has received the Presidential assent in September 2020. This Code has been published in the Gazette of India. However, the effective date from which the changes are applicable is yet to be notified and the rules for quantifying the financial impact are also yet to be issued. The Company will evaluate the impact of the Code and will give appropriate impact in the financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.
- 44 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors  
Balinee Milk Producer Company Limited

  
Anjani  
Chairman  
DIN:08341566

  
Uma Kanti Pal  
Director  
DIN:08341571

  
Om Prakash Singh  
Director & Chief Executive  
DIN:08379571

Place: Jhansi

Date: 31 August, 2021











**बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**

सीआइएन : U01409UP2019PTC112780

पंजीकृत कार्यालय : 1390, प्रथम तल, मौजा लहर गिर्द मोहल्ला

बालाजीपुरम, नन्दनपुरा, झांसी, यूपी, 284003

ई मेल—: anjani.uphamirpur@gmail.com

**प्राप्ति रसीद**

फोलियो संख्या:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं ..... निवासी .....

..... आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की

सदस्या हूँ। मैंने कम्पनी द्वारा भेजी गई पाँ चौथी वार्षिक आम सभा की सूचना सभी अनुलग्नकों के साथ

प्राप्त कर ली है।

सदस्या के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक :.....

स्थान :.....





**पंजीकृत कार्यालय**  
**1390, प्रथम तल, मौजा लहर गिर्द, बालाजीपुरम्**  
**नन्दनपुरा, झाँसी (उ.प्र.) 284003**

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।)

